



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267460
CG-DL-E-07112025-267460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4905]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947

No. 4905]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5060(अ).— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' पंचकुला (पैन: AAATH6995H), जोकि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) 'हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से एकत्रित पंजीकरण एवं वार्षिक अंशदान,
- (ख) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996(1996 का 28) और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत एकत्रित उपकर की आय, और
- (ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड', पंचकुला -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) क्रियाकलाप और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 के संबंधित निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 158/2025/फा. सं. 300196/38/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2025

S.O. 5060(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board', Panchkula, (PAN: AAATH6995H) a Board constituted by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Registration fees and yearly subscription collected from construction workers registered with the Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board as beneficiaries.
- (b) Proceeds of the cess collected under the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) and rules thereunder; and
- (c) Interest Income received on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board', Panchkula -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable from financial years 2025-26 to 2029-30 relevant to assessment years 2026-27 to 2030-31.

[Notification No. 158 /2025/F. No. 300196/38/2025-ITA-1]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.